भारत सरकार /GOVERNMENT OF INDIA,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय/ MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY,
सीप्ज़ – विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण / SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE AUTHORITY
अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400096 / ANDHERI (EAST), MUMBAI - 400 096.
टेली/Tel: 022-2829774 फैक्स/Fax: 28291385,
ई-मेल/E-mail : dcseepz-mah@nic.in, वेबसाइट/Web-site : www.seepz.gov.in

सत्यमेव जयते

YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

ं.सीप्ज़-सेज़/ईएसटी/टीएफ/2020-21/07658 दिनांक: 13 जुलाई, 2020

ट्रेड सुविधा परिपत्र सं. 02/2020-21

िषयः ज़ोन के रखरखाव के लिए ऑनलाइन फैसिलिटी मॉड्यूल ।

सेज़ में स्थित सभी यूनिटधारकों तथा अन्य स्टेकधारकों का ध्यान ज़ोन की स्वच्छता तथा खरखाव के मुद्दे की ओर आकर्षित कराते हुए यह सूचित किया जाता है कि ट्रेड की सुविधा के लिए तथा ीप्ज़-सेज़ में स्वच्छता तथा सामान्य रखरखाव संबंधी समस्याओं के समयबद्ध निपटान के लिए सुविधा ेवा उपाय के रूप में फैसिलिटी मॉड्यूल तैयार करवाया गया है ।

उक्त मॉड्यूल का विवरण सीप्ज़-सेज़ के वेबसाइट पर डेमो वीडियो के साथ उपलब्ध है ताकि क्त मॉड्यूल पर पंजीकरण करवाना सुविधाजनक हो सके । गृह व्यवस्था, कीट नियंत्रण, दिन प्रतिदिन खरखाव, गटर/ड्रेनेज, लिफ्टों के रखरखाव, सीसीटीवी निगरानी, पेड़ों की कटाई-छंटाई आदि से संबंधित िभिन्न संविदाकारों को उक्त मॉड्यूल से लिंक किया गया है । कोई भी यूनिटधारी मॉड्यूल पर जीकरण करवाने के पश्चात उस पर पिक्चर/वीडियो पोस्ट कर सकता है तथा जो कार्य संविदाकार द्वारा हीं किया जा सका है उस कार्य को करवाने के लिए उक्त कार्य का उल्लेख उसके शीघ्र करवाए जाने हेतु र सकता है ताकि ज़ोन में स्वच्छता तथा रखरखाव का कार्य अच्छी तरह किया जा सके । इस प्रकार क्त मॉड्यूल पर पोस्ट किए जाने वाले अनुरोधों/शिकायतों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की ाएगी तथा जिस व्यक्ति ने उक्त मॉड्यूल पर शिकायत पोस्ट की है, वह उसकी कार्रवाई पर नज़र भी ख सकेगा ।

सभी यूनिटधारकों से अनुरोध है कि वे उक्त सुविधा का लाभ उठाए तथा सीप्ज़-सेज़ ज़ोन के हतरी के लिए सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण को अद्यतन जानकारी से अवगत कराते रहे ।

(चन्द्रपाल सिंह चौहान)
संयुक्त विकास आयुक्त/सचिव,
सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण

तिः-
1. सभी यूनिटधारक, सीप्ज़-सेज़
2. ट्रेड एसोसिएशन, सीप्ज़
3. जीजेईपीसी तथा ईपीसीईएस
4. एडमिनिस्ट्रेटर, सीप्ज़ वेबसाइट